मैनुअल 11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टयां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट

THE BUDGET ALLOCATED TO EACH OF ITS AGENCY, INDICATING THE PARTICULARS OF ALL PLANS, PROPOSED EXPENDITURES AND REPORTS ON DISBURSEMENTS MADE

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
11	मैनुअल 11 सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टयां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट	01–12
11.1	पशुपालन विभाग का वर्ष 2025–26 का परिव्यय प्राविधान स्वीकृति एवं व्यय का विवरण	03
11.2	पशुपालन सम्बन्धी योजनाओं की वित्तीय प्रगति सूचना 2025–26	03–05
11.3	(0403) राजस्व प्राप्ति माह मार्च 2026 तक	06
11.4	महत्वपूर्ण वित्तीय शासनादेश वित्तीय वर्ष 2025–26	07–12

11.1 पशुपालन विभाग का वर्ष 2025–26 का परिव्यय प्राविधान स्वीकृति एवं व्यय का विवरण मार्च, 2026 तक (₹ हजार में) :–

योजना का नाम	मद	प्रावधान	स्वीकृत	व्यय
राज्य सैक्टर				
अनुदान संख्या–28	सामान्य	50174.850	47259.300	43848.654
अनुदान संख्या–30	स्पेशल	1091.970	1091.970	1091.970
अनुदान संख्या–31	ट्राईबल	65.00	64.800	64.800
योग		**51331.820**	**48416.070**	**45005.424**
आई.टी.बी.पी. बटालियन को जीवित भेड़ बकरी एवं कुक्कुट आपूर्ति		**1366.000**	746.000	746.00
केन्द्र पोषित योजनायें				
अनुदान संख्या–28	सामान्य	4455.240	2095.0120	2000.426
अनुदान संख्या–30	स्पेशल	1436.780	576.100	576.100
अनुदान संख्या–31	ट्राईबल	444.410	221.547	221.547
योग		**6336.430**	**2892.659**	**2798.073**
राज्य आकस्मिकता				
वाहय सहायतित				
सम्पूर्ण महायोग	सामान्य	54630.090	49354.312	45849.080
	स्पेशल	2528.750	1668.070	1668.070
	ट्राईबल	509.410	286.347	286.347
	महायोग	**57668.250**	**51308.729**	**47803.497**

11.2 पशुपालन विभाग का वर्ष 2025–26 का परिव्यय प्राविधान स्वीकृति एवं व्यय का विवरण मार्च, 2026 तक (₹ लाख में)

पशुपालन विभाग का वित्तीय वर्ष 2025–26 का प्रावधान स्वीकृत व्यय विवरण तथा धनराशि ₹ लाख में

क्र. सं.	योजना का नाम	मद	प्रावधान	स्वीकृति	व्यय
	राज्य सैक्टर				
1	निदेशालय	**सामान्य**	32326.415	32326.405	29037.570
2	राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत पशुधन बीमा	**सामान्य**	0.01	0.00	0.00
3	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का प्रबन्धन तथा सीमन क्रय(नकुल स्वास्थ्यपत्र,बायफ,कृत्रिम गर्भाधान प्रोत्साहन,लिगवर्गीकृतवीर्य अनुदान)	**सामान्य**	2082.460	1823.600	1819.860
4	औषधि आदि का क्रय(संक्रामक परजीवीकृमिपान)	**सामान्य**	1034.965	1034.965	1034.964
5	स्वरोजगार/लाभार्थीपरक योजना(राज्य पशुधन मिशन,कुक्कुट वैली,ब्रायलर फार्म,महिला बकरी पालन,बकरी पालन,भेड़ पालन,गाय पालन)	**सामान्य**	3040.000	2205.110	2196.100
		स्पेशल	1091.970	1091.970	1091.970
		ट्रायबल	65.000	64.800	64.800

6	गौसदन/ग्राम्य गो सेवक योजना का संचालन(गौसदन भरण पोषण,ग्राम सेवक)	सामान्य	5000.000	3910.420	3851.440
7	गौ संरक्षण को बढावा (आबकारी सेस)	सामान्य	1000.00	1000.00	949.920
8	आई.टी.बी.पी. को जीवित भेड़–बकरी की आपूर्ति	सामान्य	1366.000	746.00	746.00
9	चारा विकास कार्यक्रम(चारा बैंकों की स्था0चारबीज वितरण	सामान्य	125.000	125.000	125.000
10	पशुपालन विभाग में राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य	सामान्य	1000.000	887.800	887.800
11	गोसदन का निर्माण	सामान्य	500.000	500.000	500.000
12	नाबार्ड पोषित योजनायें	सामान्य	2700.00	2700.00	2700.00
	योग राज्य सैक्टर	सामान्य	**51331.820**	**48416.070**	**45005.424**
	केन्द्र पोषित योजनायें				
1	डेवलमेन्ट प्रोग्राम–एल.एच.एंड सी–एस्कैड पशुरोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता–90 प्र.के.सं	सामान्य	733.560	202.200	202.198
		स्पेशल	210.310	44.867	44.867
		ट्राईबल	39.130	23.244	23.244
		योग	**983..000**	**270.311**	**270.309**
2	डेवलमेन्ट प्रोग्राम–एल.एच.एंड सी–एस्कैड पशुरोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता–100 प्र.के.सं	सामान्य	21.150	8.720	8.720
		स्पेशल	8.100	1.940	1.940
		ट्राईबल	5.160	1.000	1.000
		योग	**34.410**	**11.660**	**11.660**
3	डेवलमेन्ट प्रोग्राम–एल.एच.एंड सी–एस्कैड पशुरोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता–50 प्र.के.सं	सामान्य	2.020	0.680	0.680
		स्पेशल	0.520	0.160	0.160
		ट्राईबल	0.520	0.080	0.080
		योग	3.060	0.920	0.920
4	डेवलमेन्ट प्रोग्राम–एल.एच.एंड सी–ई एसवी.एच.डी. –एम.वी.यू0–(वर्तमान पशुचिकि./औष.की स्था./सुदृढी एवं ए.वी.यू. का संचालन)–90 प्र.के.सं	सामान्य	1094.553	1094.553	1094.553
		स्पेशल	279.153	279.133	279.133
		ट्राईबल	141.687	141.667	141.667
		योग	**1515.393**	**1515.333**	**1515.333**
5	डेवलमेन्ट प्रोग्राम–एन.एल.एम.– नेशनल लाईव स्टाक मिशन–90 प्र.के.सं	सामान्य	1845.887	436.389	436.385
		स्पेशल	715.457	250.000	250.000
		ट्राईबल	214.823	55.556	55.556
		योग	**2776.167**	**741.945**	**741.941**
6	डेवलमेन्ट प्रोग्राम–एन.एल.एम.– नेशनल लाईव स्टाक मिशन–100 प्र.के.सं	सामान्य	**133.100**	**0.000**	**0.000**
		स्पेशल	**71.000**	**0.000**	**0.000**
		ट्राईबल	**22.580.**	**0.000**	**0.000**
		योग	**226.68**	**0.000**	**0.000**
7	डेवलमेन्ट प्रोग्राम–एन.एल.एम.– नेशनल लाईव स्टाक मिशन–50 प्र.के.सं	सामान्य	2.020	0.00	0.00
		स्पेशल	64.500	0.00	0.00
		ट्राईबल	2.020	0.00	0.00
		योग	**68.54**	**0.000**	**0.000**
8	लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र–10 प्र.के.सं	सामान्य	0.010	0.00	0.00
		स्पेशल	0.010	0.00	0.00
		ट्राईबल	0.010	0.00	0.00
		योग	0.030	0.000	0.000
9	डेवलमेन्ट प्रोग्राम–एलसी..एंड आई.एस.एस. पशुगणना का कार्य (100 प्रति0के0स0)	सामान्य	355.470	140.000	140.00
		स्पेशल	87.730	0.000	0.000

		ट्राईबल	18.480	0.000	0.000
		योग	**461.680**	**140.000**	**140.000**
10	डेवलमेन्ट प्रोग्राम–एलसी..एंड आई.एस.एस–एंटीग्रेटेड सैम्पल एर्वे हेतु सांख्यकीय प्रकोष्ठ की स्थापना–50 प्र. के.सं.	सामान्य	127.520	80.000	0.020
11	डेवलमेन्ट प्रोग्राम–एलसी..एंड आई.एस.एस–एंटीग्रेटेड सैम्पल एर्वे हेतु सांख्यकीय प्रकोष्ठ की स्थापना–50 प्र. के.सं. .	सामान्य	129.860	127.510	112.910
12	डेवलमेन्ट प्रोग्राम–एलसी..एंड आई.एस.एस–एंटीग्रेटेड सैम्पल एर्वे हेतु सांख्यकीय प्रकोष्ठ की स्थापना–50 प्र. के.सं. कोषागार आवंटित वेतन प्रतिपूर्ति	सामान्य	0.010	0.020	0.020
13	डेवलमेन्ट प्रोग्राम–एलसी..एंड आई.एस.एस–एंटीग्रेटेड सैम्पल एर्वे हेतु सांख्यकीय प्रकोष्ठ की स्थापना–50 प्र. के.सं.	सामान्य	10.100	5.000	5.000
	योग केन्द्र पोषित योजना	सामान्य	**4455.240**	**2095.012**	**2000.426**
		स्पेशल	**1436.780**	**576.100**	**576.100**
		ट्राईबल	**444.410**	**221.547**	**221.547**
	योग		**6336.430**	**2892.659**	**27983.073**
	सम्पूर्ण योग पशुपालन	सामान्य	**54630.090**	**49354.312**	**45849.080**
		स्पेशल	**2528.750**	**1668.070**	**1668.070**
		ट्राईबल	**509.410**	**286.347**	**286.347**
		योग	**57668.250**	**51308.729**	**47803.497**

11.3 (0403)–पशुपालन राजस्व प्राप्ति   माह–मार्च, 2026 :–

लेखाशीर्षक	माह मार्च,2026 तक के विभागीय आंकडे	माह मार्च,2026 तक के महालेखाकार में प्रस्तांकित ऑकड़े	भिन्नता(+,-)
पशुपालन विभाग के अधीन आय			
102–गाय तथा भैंस विकास से प्राप्ति	76396	76396	0
103–कुक्कुट विकास से आय	783	783	0
104–भेड एवं ऊन विकास से आय	4508	4508	0
105–सूकर विकास से आय	1080248	1080248	0
106–चारा एवं दाना विकास से आय	0	0	0
108–अन्य पशुधन विकास से आय	11142	11142	0
501–सेवायें एवं सेवा शुल्क	4659010	4659010	0
800–अन्य प्राप्तियॉ			
01– पशुपालन विभाग की अधीन प्राप्तियॉ	205031	205031	0
02–अधिक भुगतान की वसूली	3706188	3706188	0
03–इमारतों का किराया	273972	273972	0
04–लोथ उपयोग से आय	0	0	0
05– निदेशक पशुपालन के अधीन दूध तथा दूध से बनी वस्तुओं से आय	0	0	0
06–अभिजनन तथ गाभिन कराने की फीस तथा पशुओं की बिक्री से आय	0	0	0
99–प्रकीर्ण	4002823	22090776	-18087953
योग	**14020101**	**32108054**	**-18087953**

11.4 <u>महत्वपूर्ण वित्तीय शासनादेश वित्तीय वर्ष 2022–25 तक</u> :–

संख्या 72/XV–1/23–1(15)/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट
सुयक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 13 जनवरी, 2023

विषय : ब्रायलर फार्म की स्थापना एवं कुक्कुट वैली की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6625/पशुधन–3/कुक्कुट–प्रस्ताव/2022–23 दिनांक 21.11.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में मदर पोल्ट्री इकाई की स्थापना में आय–व्ययक में उपलब्ध रू० 500.00 लाख (रू० पॉच करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नांकित वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पद प्रदिष्ठ करते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. मदर पोल्ट्री इकाई की स्थापना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट से संचालित करने हेतु ब्रायलर फार्म की स्थापना हेतु रू० 200.00 लाख एवं कुक्कुट वैली की स्थापना हेतु रू० 300.00 लाख का उपयोग शासनादेश संख्या–1631/XV–1/1/22–1(15)2022 दिनांक 15.11.2022 द्वारा ब्रायलर फार्म की स्थापना हेतु निर्धारित दिशा–निर्देश तथा शासनादेश संख्या–1632/XV–1/1/22–1(15)2022 दिनांक 15.11.2022 एवं संशोधित शासनादेश संख्या 29/XV–1/1/22–1 (15) 2022 दिनांक 06.01.2023 द्वारा कुक्कुट वैली की स्थापना हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

2. स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता, दुरूपयोग, दोहरीकरण (क्वनइसपदह) एवं वित्तीय नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

3. धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त उक्त मदों में हुये व्यय का विवरण तथा लाभान्वितों की संख्या ग्रामवार/विकासखण्डवार/जनपदवार फोटोग्राफ्स सहित प्रमाणित एवं संकलित सूचना डी०बी०टी० पोर्टल में अपलोड की जायेगी।

4. धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रयिा के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीक्ष तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी दशा में व्यय नही की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

7. बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा बी०एम०–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष /बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके नमूना हस्ताक्षरा समस्त कोषागार में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की

जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें।

8. प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।

9. उपकरण/सामग्री जो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 से आच्छादित है, का य एवं आपूर्ति इस नियमावली में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। नियमावली से इत्तर उपकरण/सामग्री का य/आपूर्ति किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा अध्यारोपित इस शर्ते के साथ निर्गत किये जा रहे है कि उक्त योजनान्तर्गत लाभार्थी चयन हेतु एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसमें लक्ष्य/उपलब्धियॉ एवं लाभार्थियों के सत्यापन हेतु व्यक्तिगत रूप में उनके नाम/पता/फोटोग्राफ्स इत्यादि संबंधी समस्त सूचनाएं/रिकार्ड अपलोड रखे जाएंगे। तथा आगामी वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–00–106–कुक्कुट विकास–19–मदर पोल्ट्री इकाई की स्थापना–00–42 अन्य विभागीय व्यय (100 प्रतिशत राज्यांश) के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–391/9(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून, 2022 के म में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

संख्या /XV–1/23–1(15)2022 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वल/कुमाऊॅ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढवाल/कुमाऊॅ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4।
7. गार्ड फाइल।

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

संख्या : 1810/XV–1/22–1(4)/2022

प्रेषक,

डा०बी०वी०आर०सी०पुरूषोतम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 12 दिसम्बर, 2022

विषय : **चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत बकरी पालन (अनु० 28) में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1344/नि०–5/एक(58)/आय–व्यय/2022–23 दिनांक 18 जून, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य सैक्टर के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत बकरी पालन योजना हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष रू० 409.50 लाख (रू० चार करोड नौ लाख पच्चास हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर प्रदिष्ठ करते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) शासनादेश संख्या–590/XV–1/2022 दिनांक 28 सितम्बर, 2022 में दिये गये निर्देशों के म में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत बकरी पालन योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन प्रिया शासनादेश संख्या–1717/XV–1/13/1(4)/12 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 द्वारा निर्धारित प्राविधान/दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक किया जाना आवश्यक होगा तथा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता, दुरूपयोग, दोहरीकरण (Doubling) एवं वित्तीय नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरादायी होंगे।

(3) बकरी पालन योजनान्तर्गत स्वरोजगार हेतु य किये गये बकरी को 05 वर्ष तक लाभार्थी द्वारा विय नहीं किया जायेगा तथा पशु की मृत्यु होने की स्थिति में संबंधित/निकटतम कार्यरत पशुचिकित्साधिकारी से निरीक्षण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त कराना आवश्यक होगा अन्यथा योजना में दुरूपयोग होने के संभावना बनी रहेगी। धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त उक्त मदों में हुये व्यय का विवरण तथा लाभान्वितों की संख्या ग्रामवार/विकासखण्डवार/जनपदवार फोटोग्राफ्स सहित प्रमाणित एवं संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका विषयक नियम एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किंया जाय, जहॉ कहीं आवश्यक हो तो धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(5) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आंवटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

(7) बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा बी०एम०–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकरियों को आंवटित बजट का

विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागार में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(8) प्रशासनिक/बजट नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रख जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।

(9) उपकरण/सामग्री, जो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 से आच्छादित है, का य एवं आपूर्ति इस नियमावली में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। नियमावली से इत्तर उपकरण/सामग्री का य/आपूर्ति किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(10) यह आदेश वित्त विभाग द्वारा अध्यारोपित इस शर्ते के साथ निर्गत किये जा रहे है कि उक्त योजनानतर्गत लाभार्थी चयन हेतु एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसमें लक्ष्य/उपलब्धियॉ एवं लाभार्थियों के सत्यापन हेतु व्यक्तिगत रूप में उनके नाम/पता/फोटोग्राफ्स इत्यादि संबंधी समस्त सूचनाएं/रिकार्ड अपलोड रखे जाएंगे तथा आगामी वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ इन अभिलेखों/सूचनाओं सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–00–106–अन्य पशुधन विकास–18–अन्तर्गत सुसंगत मानक मद के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश –391/9(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून, 2022 में दिये गये दिशा–निर्देशों के म में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा०बी०वी०आर०सी०पुरूषोत्तम)
सचिव

संख्या 1810 /XV–1/22–1(4) 2022 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग गढ़वाल/कुमाऊॅ मण्डल, उत्तराखण्ड ।
4. संबंधित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी०एस०पुण्डीर)
उप सचिव

संख्या 1554/XV–1/22–7(10)/2022

प्रेषक,

डा०बी०वी०आर०सी०पुरूषोतम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 15 नवम्बर, 2022

विषय : **वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान हेतु बायफ केन्द्रों के संचालन योजनान्तर्गत (अनु० 28) में धनराशि अवमुक्त करने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2148/नि०–5/एक(61)/बायफ/2022–23 दिनांक 22 जुलाई, 2022 तथा पत्र संख्या–6126/नि०–5/एक(61)/बायफ/2022–23 दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय 2022–23 में राज्य सैक्टर के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान हेतु बायफ केन्द्रों के संचालन योजना हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष रू० 200.00 लाख (रू० दो करोड मात्र) की धनराशि निम्नलिखित वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर प्रदिष्ठ करते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) शासनादेश के संख्या–1252/XV–1/2022 7(10)2022 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान हेतु बायफ केन्द्रों का संचालन किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक किया जाना आवश्यक होगा तथा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता, दुरूपयोग, दोहरीकरण (Doubling) एवं वित्तीय नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर विभागाध्यक्ष, संबंधित आहरण वितरण अधिकारी तथा अपर मुख्य कार्यक्रम अधिशासी (राज्य प्रमुख) बी०आई०एस०एल०डी०देहरादून पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

(3) संबंधित संस्था योजनान्तर्गत स्थापित होने वाले एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों की मासिक प्रगति पशुपालन निदेशालय को प्रत्येक माह उपलब्ध करायेंगे।

(4) स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका विषयक नियम एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जहॉ कही आवश्यक हो तो धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(5) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रयिा के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी दशा में व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

(7) बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष/अपर मुख्य कार्यक्रम अधिशासी (राज्य प्रमुख) बी०आई०एस०एल०डी० देहरादून द्वारा बी०एम०–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागार में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(8) प्रशासनिक / बजट नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।

(9) उपकरण सामग्री, जो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 से आच्छादित है, का य एवं आपूर्ति इस नियमावली में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। नियमावली से इत्तर उपकरण / सामग्री का य / आपूर्ति किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(10) यह आदेश वित्त विभाग द्वारा अध्यारोपित इस शर्त के साथ निर्गत किये जा रहे है कि उक्त योजनान्तर्गत जिसमें लक्ष्य / उपलब्धियॉ इत्यादि संबंधी समस्त सूचनाएं / रिकार्ड अपलोड रखे जाएंगे तथा आगामी वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ इन अभिलेखों / सूचनाओं सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–28 के अनतर्गत लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–13 कृत्रिम गर्भाधान हेतु बायफ केन्द्रों का संचालन–42 अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश –391 / 9(150)2019 / XXVII(1) / 2022 दिनांक 24 जून, 2022 में दिये गये दिशा–निर्देशों के म में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा०बी०वी०आर०सी०पुरूषोत्तम)
सचिव

संख्या 1554 / XV–1 / 22–7(10) 2022 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल / कुमाऊॅ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर मुख्य कार्यक्रम अधिशासी (राज्य प्रमुख) बी०आई०एस०एल०डी०, देहरादून।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी०एस०पुण्डीर)
उप सचिव